

समाहरणालय, बक्सर

(आपूर्ति शाखा)

मो0 नं0- 8544426112

ई-मेल - dsobuxar1@gmail.com



फोन नं0-(06183)222335(R),222336(o)

ई-मेल - dm-buxar.bih@nic.com

कार्यालय-आदेश

सरकार के अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1089/खाद्य दिनांक 05.03.2019 तथा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लि0, पटना के बीजक दिनांक 20.09.2019 के आलोक में किरासन तेल थोक विक्रेताओं एवं खुदरा विक्रेताओं के लिए निम्न प्रकार से किरासन तेल की बिक्री दर निर्धारित की जाती है। यह दर तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

किरासन तेल का नया दर निम्नवत है :-

1. थोक किरासन तेल विक्रेताओं के लिए बिक्री मूल्य - 33.59 रु0 प्रति ली0
2. ज0वि0प्र0 विक्रेताओं एवं ठेला भंडरों के लिए बिक्री मूल्य - 34.59 रु0 प्रति ली0

अतः थोक किरासन तेल विक्रेताओं/खुदरा तेल विक्रेताओं के दर से संबंधित निर्गत इस कार्यालय के पत्रांक 04-1053/आ0 दिनांक 14.10.2019 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

जिला पदाधिकारी का आदेश

दिनांक 18.10.2019

संचिका सं0-IX-01-2019

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
बक्सर।

ज्ञापांक 04-1071/आ0, दिनांक 18/10/2019

- प्रतिलिपि :- अध्यक्ष/सचिव, फेयर्स प्राइस डीलर्स एशोसिएशन, बक्सर/सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता, बक्सर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी थोक किरासन तेल विक्रेता, जिला बक्सर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- डी0आई0ओ0, बक्सर/आई0टी0 मैनेजर, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर/डुमरौव/जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर/सभी प्रभारी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक, जिला बक्सर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अपर समाहर्ता, बक्सर/उप विकास आयुक्त, बक्सर-सह-वरीय प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपूर्ति शाखा, बक्सर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस आदेश में निहित सूचना का प्रचार-प्रसार स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, बक्सर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
बक्सर।